माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश संख्या– 16 दिनांक– 29.06.2016 के अनुपालन में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची में आज दिनांक– 01.07.2016 को सचिव, झालसा के साथ डायन कुप्रथा के रोकथाम हेतु विभाग एवं झालसा के संयुक्त सहयोग से प्रचार–प्रसार निम्न वर्णित रूप में करने का निर्णय लिया गया।

---

1. डायन कुप्रथा रोकने हेतु निम्नलिखित जिलों का प्रथम चरण में चिन्हित किया गया है– राँची, खूँटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, दुमका, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम।

2. झारखण्ड राज्य में डायन प्रथा निषेद्ध अधिनियम 2001 प्रचलित है जिसे कड़ाई से लागु किये जाने की आवश्यकता है साथ ही इसकी कुप्रथा के बारे में लोगो को जागरूक किये जाने हेतु बड़े पैमाने पर प्रचार–प्रसार किया जाना आवश्यक है। वैसे इलाके जहॉ पर डायन उत्पीड़न/Witch Hunt की घटनाएं विगत वर्षो में घटित हुई है अथवा जिन क्षेत्रों में घटित होने की आशंका है वहाँ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

3. दिनांक– 06.07.2016 से 15.07.2016 तक जगन्नाथपुर मंदिर हटिया राँची में रथ मेला के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में जन भागीदारी होती है। इस रथ मेला में विभाग एवं झालसा के संयुक्त प्रयास से शिविर लगाने का निर्णय लिया गया जिसमें पम्पलेट वितरण, होल्डिंग, ऑडियों विजुएल, LED, बैनर, एवं नुक्कड़ नाटक आदि से डायन कुप्रथा को समाप्त करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाय।

4. झालसा के द्वारा Pamphlets, Leaflets एवं Booklets तैयार किया जायेगा।

5. झालसा एवं महिला, बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा दूरदर्शन, एवं रेडियो के कार्यक्रम "कानून की बात में" के माध्यम से डायन कुप्रथा को समाप्त करने के संबंध में जानकारी दी जायगी।

6. जिला स्तर पर सचिव District Legal Service Authority (DLSA) एवं जिला समाज कल्याण पदाधीकारी आपसी समन्वय के माध्यम से Community Legal Programme में Witchcraft (डायन प्रथा के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार) के संबंध में लोगों को जागरुक करेंगें।

7. उपर्युक्त वर्णित प्रत्येक जिलें में डायन कुप्रथा को रोकने के लिए एक–एक चलन्त वाहन गत वर्ष की भॉति प्रचार–प्रसार के साथ संबंधीत जिला में चलाया जायेगा। झालसा के द्वारा भी संचालित कानूनी जागरुकता के लिए चलायें जा रहें चलन्त वाहन (Mobile Van) को भी इस कार्य में लगाया जायेगा।

8. दूरदर्शन, रेडियों एवं सामाचर पत्र के माध्यम से डायन कुप्रथा के विरूद्ध प्रचार–प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। महिला, बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा Documentary Film /Drama, रेडियों एवं टेलिवीजन के माध्यम से प्रसारित किया जायेगा।

9. राज्य एवं जिलों के प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग एवं पम्पलेट वितरण कर डायन कुप्रथा मिटाने हेतु प्रचार–प्रसार कर जन जागरण किया जाय।

10. डायन कुप्रथा रोकने तथा राज्य में डायन प्रथा निषेद्ध अधिनियम 2002 का अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन के लिए झालसा के उप सचिव तथा विभागीय उप सचिव नोडल पदाधिकारी होंगे, जो आपसी समन्वय से इस कार्य का निष्पादन करेंगे।

11. उपर्युक्त कार्यों का नियमित अनुश्रवण प्रधान सचिव महिला, बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग एवं सचिव झालसा द्वारा किया जायेगा।

सदस्य सचिव झालसा

प्रधान सचिव
महिला, बाल विकास एवं
सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन
धुर्वा, राँची–834004

पत्र संख्या– 1663 /स0क0

प्रेषक,

मुखमीत सिंह भाटिया
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

उपायुक्त
राँची।

राँची, दिनांक : 01/07/ 2016 ई0।

विषयः– **डायन कुप्रथा के उन्मूलन हेतु धुर्वा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले रथ मेला के अवसर पर शिविर लगाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि डायन कुप्रथा की रोकथाम के लिए विभाग के स्तर पर सचिव झालसा के साथ आज दिनांक 01.07.2016 को एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि डायन कुप्रथा को रोकने के लिए झारखण्ड राज्य में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 लागु कराने हेतु आमजनों को जागरूक किये जाने की आवश्यकता है। ज्ञातव्य है कि दिनांक 6 जुलाई 2016 से दिनांक 15 जुलाई 2016 तक धुर्वा स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में बड़े पैमाने पर रथ मेला का आयोजन होता है जिसमें झारखण्ड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बडी संख्या में लोग भाग लेते है।

अतः इस मेले के दौरान डायन कुप्रथा के रोकथाम के प्रचार प्रसार हेतु महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एवं झालसा के द्वारा सयुक्त रूप से एक शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। इस शिविर में डायन प्रथा उन्मूलन से संबंधित प्रचार प्रसार हेतु पम्पलेट, बैनर, एल0इ0डी0, ओडियो विजुअल सामग्री नुक्कड नाटक आदि कार्यो को कराने की व्यवस्था जिला स्तर से की जाए। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी राँची एवं खूँटी इस कार्यक्रम के क्रियान्यन करेंगे। शिविर में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महिला पर्यवेक्षिका एंव कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रोस्टर के आधार पर संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा की जाए। उक्त कार्य हेतु आवश्यक राशि का आवटंन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि वांछित कार्रवाई ससमय सुनिश्चित कराना चाहेगें।

विश्वासभाजन,
मुखमीत सिंह भाटिया 1/7/16
मुखमीत सिंह भाटिया
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 1663 /स0क0, राँची, दिनांक 01/07/ 2016 ई0।

1. प्रतिलिपिः– उपायुक्त खुँटी को सुचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्य हेतु जिला समाज कल्याण पदाधिकारी खूँटी को प्रतिनियुक्त कर वांछित निदेश देना चाहेगें।
2. प्रतिलिपिः– जिला समाज कल्याण पदाधिकारी राँची/खूँटी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपिः– निदेशक समाज कल्याण एंव परियोजना निदेशक,झारखण्ड महिला विकास समिति।
4. प्रतिलिपिः– सचिव, झालसा डोरण्डा राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुखमीत सिंह भाटिया 1/7/16
मुखमीत सिंह भाटिया
सरकार के प्रधान सचिव